


18.03.24 पत्रावली पैका। पत्रावली आज पैका  
से गिरकर पैका में ली गई। वकील  
वादीगण या वादीगण स्वयं उपस्थित नहीं।  
बाब-बार आवेदन लगाने पर भी  
उपस्थित नहीं हुए। अतः वादीगण का  
यह वाद पत्रा अदम पैरवी-अदम हाजिरी  
में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।  
पत्रावली बाद तस्वीर तकरीफ होकर राखिल  
इफ्तल हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय  
में सुनाया गया।

  
(मानेज उम्मार सीमा)  
RofSo

